समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपील 116 नि ग-1823-I-16

आवेदकः– श्री बबलू ठाकुर पिता श्री दादूराम ठाकुर (आदिवासी गौड़), निवासी गौर सालीवाड़ा तहसील व जिला जबलपुर।

श्री ...... द्वारा आज दि. 7-6-16 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अनावेदकः– श्री मगन लाल यादव पिता स्व. श्री गिरन सिंह यादव निवासी नवनिवेश कालोनी गगांनगर गढ़ा जबलपुर।

अपील आवेदन विरूद्व न्यायालय कलेक्टर प्रकरण कमांक 398/अ–21/2013–14 आदेश पारित दिनांक 23/05/2016

अपील आवेदन धारा 44 के तहत अपील

1. यह प्रकरण न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के समक्ष दिनांक 07/08/2014 को आवेदक आदिम जनजाति सदस्य श्री बबलू ठाकुर पिता दादूराम ठाकुर (आदिवासी गौड़) निवासी गौर सालीवाड़ा तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम मुकनवारा प.ह.न. 33 रा.नि.म. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित खसरा नं. 163/6 रकवा 0.470 हेक्ट. अनावेदक/गैर आदिम जनजाति सदस्य श्री मनोज कुमार उपाध्याय पिता स्व. श्री रामसुन्दर उपाध्याय निवासी एम.आई.जी.–सी/159 धनवन्तरी नगर जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति चाहे जाने पर प्रारम्भ किया गया है।

7-6-16

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 1823–/1/2016 जिला–जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि. एंव आवेदक के हस्ताक्षर
24-6-16	यह अपील कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण कमाक 20/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23–05–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू– राज्य संहिता 1959 की धारा 44 कें अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने कलेक्टर जवलपुर को प्रार्थना पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम मुकनवारा प. ह.न. 33 (मुकनवारा) रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 163/6 रकवा 0.47है0 उबड –खाबड होने एंव अन –उपजाउ होने से भूमि को विकय कर शेष बच रही भूमि की उन्नती ,हेतु भूमि को विकय किये जाने की अनुमति मांगी। कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क 398/अ–21/2013–14 पंजीबद्ध किया तथा अपीलांट के आवेदन में अंकित तथ्यो की जॉच कराकर आदेश दिनांक 23.05.2016 पारित किया एंव अपीलांट का आवेदन अस्वीकार कर प्रकरण खारिज कर दिया इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3– अपील मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । 4– अपीलांट के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपीलांट ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे कमाक 163/6 रकवा 0.47 हे. के विकय की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि उसके पास विकय की जाने वाली भूमि के अंतिरिक्त ग्रम टीगंन मे 6.18 हे. भूमि शेष बच रही है। जिसके कारण विकय की जाने वाली भूमि के विकय उपरांत वह भूमिहीन नही होगा एंव भूमि विकय से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत वनायेगा इसलिये भूमि विकय का प्रयोजन भी सद्भावना पर आधारित है जिसके कारण विकय अनुमति दिये जाने में बैधानिक अडचन नजर नही आती है। वैसे भी अपीलांट द्वारा विकय की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है अपीलांट द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है, एंव नायव तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच	

रिपोर्ट तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने मे किसी प्रकार की बैधानिक अडचन नही है।

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0–08–माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टात है कि –

(1)भू–राजस्व संहिता ,1959 (म0प्र0)–धारा 165(7–ख)तथा 158 (3) का लागू होना –उपबंधो के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये –बिना अनुमति के भूमि का अंतरण–उपंबधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया–उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया –उपबंध आकर्षित नही होते–भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2)विधि का निर्वचन–का सिद्धात –नवीन उपवंध का अंतःस्थापन –भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया –ऐसे उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नही की जा सकती।

(2)दयाली तथा एक अन्य विरूद्ध महिला श्यामबाई 2004रा0नि0183में व्यवस्था की गई है कि भू–राजस्व संहिता 1959(म0प्र0)–धारा 165(7–ख) सरकारी पटटेदार द्वारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार अंर्जित किये –भूमि का विक्रय कर सकता है – कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नही है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 398/अ–21/2013–14 अपील मे पारित आदेश दिनांक 23.05.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को ग्रम मुकनवारा प.ह.नं. 33 (मुकनवारा) रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 163/6 रकवा 0.47 है0 के विकय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–

1–भूमि का कय–विकय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के तीन माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2–भूमि का कय –विकय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा ।

3–केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

सदस्य